



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15598

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1853/2026

सुधीर कुमारयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहम्मद हामिद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.02.2025 और 19.08.2025 से जारी निर्देशों के अनुसार मानचित्र की प्रति उपलब्ध कराने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, जौनपुर/प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक आवेदन/प्रत्यावेदन दिनांक 05.12.2025 प्रस्तुत किया गया है।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 2/जिलाधिकारी, जौनपुर के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन दिनांक 05.12.2025 की एक प्रति प्रस्तुत करें। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 छह सप्ताह के भीतर इस मामले में निर्णय लेंगे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"